

प्रति क्रमांक 1452-2 जो 0एस0/70/7417, दिनांक 30 मार्च, 1970।

प्रेषक,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,
हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष,
आयुक्त, ग्राम्बाला मण्डल, तथा सभी उपायुक्त

(2) रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, पंजाब तथा हरियाणा, चण्डीगढ़ तथा

सभी जिला सत्र न्यायाधीश आदि।

विषय : परिवार नियोजन प्रोग्राम - विशेष आकस्मिक छुट्टी।

सरकारी कर्मचारियों को, जिन की धर्म पत्नियां नलबन्दी का अप्रेशन करवाये, कुछ सुविधा देने के मामले पर सरकार कुछ समय से गौर कर रही थी। विचार विमर्श के बाद यह फैसला किया गया है कि जिन अधिकारियों की धर्मपत्नियां Gynance Sterilisation (Tubectomy operation without delivery) करवाए उन अधिकारियों को 7 दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी (जोकि ordinary casual leave or regular leave के साथ शामिल की जा सकेगी) दी जाए। यह सुविधा केवल 1500 रुपये या इससे कम बेतन पाने वाले अधिकारियों को ही दी जाएगी।